

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/293/2024


दिनांक- 13/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार काछोला

विषय:- प्र.स. 293/2024 अनवान कैलाशचन्द्र पुत्र नारायणलाल कुम्हार निवासी काछोला  
बनाम भोलु पिता उदा मीणा निवासी लक्ष्मणगढ, रूपा पिता उदा मीणा निवासी लक्ष्मणगढ,  
रामनाथ पिता उदा मीणा निवासी लक्ष्मणगढ, उगमा पिता उदा मीणा निवासी लक्ष्मणगढ,  
तहसीलदार काछोला वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम लक्ष्मणगढ, प.ह. सरथला आराजी  
सं. 150/63, 178/61, 179/62, 180/63, 217/63 कुल कित्ता 05 रकबा 0.5343 हैक्टेयर भूमि की  
उनयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक काछोला को कमीश्नर नियुक्त किया  
जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये  
राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया  
जावे। तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की  
उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा

**फर्द अहकाम**

(विषय संख्या)

अतः अदायता-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

श्रीमानवर कुत्र कारखानेदार कुम्हार निवासी काछोला

बनाम

श्रीमति शिवा उदा भीमा निवासी लक्ष्मणगढ, वगैरह

मुकदमा नंबर 203/2024

जिस मुकदमा का पत्र 111/28 एक आर ए

हुसब आ कारखाने मध्य इनिशियल अज


नंबर व तारीख अहकाम जो हुसब की सामील में जारी हुये

तारीख हुसब

13/05/2024

प्रार्थना पत्र लिखे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने उचित अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मैं एक/समुदाय वाले श्री भूमि में ग्राम लक्ष्मणगढ, प.ह. सस्थला आराजी सं. 150/63, 178/61, 179/62, 180/63, 217/63 कुल कित्ता 05 रकबा 0.5343 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि करवाने जाने की आदेशकता है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक फीचर बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम लक्ष्मणगढ, प.ह. सस्थला आराजी सं. 150/63, 178/61, 179/62, 180/63, 217/63 कुल कित्ता 05 रकबा 0.5343 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक काछोला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार काछोला को लिखा जावे। तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा